



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ19001

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area,
अजमेर -305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4540/MCDR-MiFL0LST/17/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 04.12.2023

प्रेषित: खान एजेंट, मोड़क चूना पत्थर खान,
मेसर्स मंगलम सिमेन्ट लिमिटेड,
आदित्य नगर, पोस्ट ऑफिस-मोड़क,
तहसील-रामगंज मंडी, जिला-कोटा (राजस्थान) 326 520

Email: mines@mangalamcement.com, bajrang.lal@mangalamcement.com;

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Morak Limestone Mine** (Lease area 895.42 Hect., ML No. 02 /76) situated in Kota District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 17.10.2023 by the undersigned in presence of Sh. Bajrang Lal AVP(Mines) & Sh. Vivek Rawat, DGM(Geology & Mining):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2022-23 following discrepancies were observed: 1) During the inspection it was observed that in your mine crusher/ screen reject generated & simultaneously used in backfilling but quantity of crusher/ screen reject was not reported in the annual return. 2) Following discrepancies were observed in the PMCP report 2022-23 which was submitted along with annual return 2022-23: a) The total area (in hect) reclaimed during the last financial year by water reservoir (in hect) shown 46.92 hect. which is not correct. b) The quantity of soil concurrent utilized in rehabilitation reported 181808 cubic meter during the last financial year whereas during the inspection it was reported 181808 tonnes.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, रामगंजमंडी, जिला- कोटा (राजस्थान)।
4. रक्षित पत्रावली।